(125)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कंमाक /2013 निगरानी — R - 2000 - II/13

श्री किशोर कुशवाह आरक्षक द्वारा आज दि. 24-5-13 को प्रस्तुत
24-5-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

उत्तम खंगार आयु 56 वर्ष पुत्र भागीरथ खंगार
निवासी–ग्राम कालीपुरा तेहसील जिला दतिया
.... निगरानीकर्ता

बनाम

प्रीतम रिंह खंगार आयुं 50 वर्ष पुत्र टुड् खंगार
निवासी–ग्राम कालीपुरा तेहसील जिला दतिया
.... रैस्पोडैन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व साहिता के अन्तर्गत योग्य अधिनस्थ एस. डी.ओ. न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 115/अपील/11–12 अधिनस्थ तेहसीलदार महोदय दतिया के प्रकरण कमांक 39/अ–1988–89 में योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पटटाधारी से भूमि स्वामी घोषित किया, इस आदेश को एस.डी.ओ महोदय दतिया द्वारा त्रुटिपूर्ण मानते हुये अपील को समय अवधि में मानते हुये अधिनस्थ तेहसीलदार महोदय का आदेश दिंनाक 05.07.1989 को अपने आदेश दिंनाक 18.04.2013 को निरस्त कर निगरानी के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि को शासकीय घोषित किया गया है जिससे दुखित होकर निगरानीकर्ता की अपील प्रस्तुत है :–

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य को कृषि आराजी ग्राम कालीपुरा तहसील व जिला दतिया में स्थित है जिसका पुराना सर्वे कमाक 162 रकवा 2.845 हैक्टर था उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता के पिता भागीरथ पुत्र लालसिंह खगांर सम्बत 2031 के पूर्व से काबिज होकर खेती करता चला आ रहा था तथा उक्त भूमि पर श्रम व पैसा लगाकर उपजाउ बनाया था उनकी मृत्यु हो जाने के उपरान्त निगरानीकर्ता अपने पिता के जीवन काल से ही भूमि पर खेती किसानी करता रहा है अपीलार्थी सर्वे 162/1 रकवा 0.952 आरे का पटटा प्रदान किया तथा सर्वे कंमाक 162/2 रकवा 0.952 आरे सर्जन पुत्र ममर खंगार को तथा सर्वे कंमाक 162/3 रकवा 0.944 आरे हरनाम पुत्र कृपा को पटटा प्रदान किया गया क्योकि सभी लोग भूमि हीन थे तथा पटटा प्राप्त करने की श्रेणी में आते थे इस कारण से निगरानीकर्ता एवं अन्य कृषकगण 40 वर्ष पूर्व से ही अपने अपने सर्वे नम्बरों

...2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./2000/दो/2013 जिला दतिया

उत्तम खंगार विरुद्ध प्रीतम सिंह खंगार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक-115/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18/04/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 31/5/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	